एक नजर में

मार्ग परिवर्तन

लखनऊ : मैरवा-बनकटा स्टेशनों के मध्य समपार संख्या 101 पर लिमिटेड हाइट सब-वे के निर्माण के लिए गर्डर लांच होगा। इस कारण 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल 30 मार्च को सीवान-थावे-कप्तानगंज-गोरखपुर कैंट के रास्ते आएगी। लखनऊ-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, डिब्रुगढ़-चण्डीगढ़ एक्स., कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस, अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस और काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस को 25 से 35 मिनट तक नियंत्रित किया जाएगा। (जासं)

सर्वर में दिक्कत

लखनऊ : चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस का सर्वर करीब डेढ़ घंटे तक डाउन रहा। दोपहर 12 से डेढ़ बजे तक एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस का कोई विमान नहीं था। हालांकि इसके बाद की एक उड़ान के यात्रियों को मैन्यूअल बोर्डिंग पास जारी किए गए। (जासं)

जनजागरुकता अभियान

लखनऊ : ऐशबाग रेलवे पालीक्लीनिक में क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. दीक्षा चौधरी ने रेलकर्मियों एवं परिवारीजनों को शपथ दिलाई। साथ ही क्षय रोग के लक्षणों एवं सरकारों की ओर से क्षय रोगी को दी जाने वाली चिकित्सीय सुविधाओं के बारे में बताया। (जासं)

सम्मान समारोह

लखनऊ : पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन ने लखनऊ जंक्शन पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया। अध्यक्ष श्रुति गुप्ता ने विद्युत, यांत्रिक, परिचालन, वाणिज्य एवं चिकित्सा विभाग की 95 महिला कर्मियों को स्मृति चिन्ह एवं उपहार प्रदान कर सम्मानित किया। (जासं)

सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक इंजीनियरिंग की अनदेखी

सड़क सुरक्षा संवाद में आइआरटीई फरीदाबाद के निदेशक की टिप्पणी

जासं ● लखनऊ : प्रदेश में 2025 में सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा 50 हजार को पार कर चुका है। इंस्टीट्यूट आफ रोड ट्रैफिक एजूकेशन (आइआरटीई) फरीदाबाद के निदेशक डा. रोहित बलूजा ने इसकी वजह ट्रैफिक इंजीनियरिंग की अनदेखी को बताते हुए कहा, सिर्फ पुलिस के भरोसे ट्रैफिक ठीक नहीं हो सकता। ट्रैफिक पुलिस सुधार के नाम पर सड़कों की बैरीकेडिंग करके पल्ला झाड़ लेती है। इसीलिए लखनऊ ही नहीं कानपुर, आगरा, सहित यूपी के अन्य शहरों में भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहीं।

परिवहन विभाग की ओर से आयोजित सड़क सुरक्षा संवाद में पहुंचे डा. बलूजा ने पत्रकारों से कहा, ड्राइवर तैयार करने के लिए ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक्रीडेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जरूर खोले जाने चाहिए। बड़े वाहनों के चालकों को दक्ष बनाना होगा। दो-चार केंद्र खोलने भर से प्रदेश नहीं बनता और न ही अच्छे ड्राइवर मिलेंगे। विश्व में जितने भी विकसित देश हैं, उन्होंने छोटे-छोटे ड्राइविंग स्कूलों को सक्षम बनाकर सड़क दुर्घटनाएं रोकने में सफलता पाई है। ऐसा ही यूपी में करना होगा। बोले, सड़कों पर देखते नहीं युवा कैसे गाड़ियां चलाते हैं क्या उनमें स्किल कम दिखता है? उन्होंने कहा, युवाओं को डिफेंसिव ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए यानी जिसमें वह खुद खतरा न बनें बल्कि दुर्घटना होने के खतरे से कैसे बच सकते हैं, यह सिखाया जाए। दुर्घटना होने पर ड्राइविंग लाइसेंस देने वालों पर भी कार्रवाई हो। डा. बलूजा ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का दौर है। इसमें बड़ी वाहन कंपनियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे लोगों को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दें लेकिन, सब वही नहीं करेंगे वह तो हिस्सा भर हैं, लक्ष्य छोटे ड्राइविंग स्कूल पूरा करेंगे। उन्होंने कहा, बच्चों को निजी वाहनों से स्कूल भेजा जाता है। ऐसे में यदि दुर्घटना होती है तो वाहन संचालक पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वह धनराशि अभिभावक से लेता है। इस संबंध में कानून होना चाहिए कि स्कूल ही जिम्मेदार होंगे।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सड़क सुरक्षा संवाद में स्काउट गाइड को पुरस्कृत करते परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश के स्टेट कमिश्नर डा. प्रभात कुमार, परिवहन आयुक्त किंजल सिंह व अन्य ● जागरण

चालान का लक्ष्य जीवन बचाना, जुर्माना वसूलना नहीं

जासं ● लखनऊ : परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि नो हेलमेट नो फ्यूल का कानून इसलिए लाया गया, ताकि लोग नियमों के प्रति गंभीर हों, लेकिन पेट्रोल पंपों पर हेलमेट किराए पर मिलने लगे। युवा सड़क सुरक्षा के नियमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित दो दिवसीय सड़क सुरक्षा संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा, सरकार कानून बना रही है, पर सड़क सुरक्षा केवल नियमों से नहीं, बल्कि जनभागीदारी से ही हो सकती है। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने कहा, प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रदेश के सभी 75 जिलों से 300 स्काउट गाइड, 100 एनएसएस व एनसीसी प्रशिक्षुओं को आधारभूत नियमों, संकल्पनाओं और दुर्घटनाओं में त्वरित प्राथमिक सहायता के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। भारत स्काउट एवं गाइड उप्र के स्टेट चीफ कमिश्नर डा. प्रभात कुमार ने कहा, यह संगठन अपनी सक्रियता, अनुशासन सेवा और जागरूकता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव रहा है। यहां विशेष सचिव पीडब्ल्यूडी अमित कुमार, अपर परिवहन आयुक्त संजय सिंह, आरके विश्वकर्मा मौजूद रहे।

चित्रकला में अयोध्या प्रथम : स्काउट गाइड की चित्रकला प्रतियोगिता में अयोध्या प्रथम, रायबरेली द्वितीय व सीतापुर को तीसरा और मेरठ व बदायूं को सांत्वना पुरस्कार मिला।

मेट्रो को जमीन न देने का मामला गर्माया, दिए गए निर्देश

- अमीनाबाद व चौक की जमीन का किया जाना है उपयोग
- प्रमुख सचिव ने कहा, जमीन से जुड़ी कार्यवाही तत्काल की जाए

जासं ● लखनऊ : चारबाग से वसंतकुंज के बीच मेट्रो परियोजना को जमीन देने का निर्णय 17 नवंबर 2025 को प्रमुख सचिव नगर विकास एवं आवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था। नौ दिसंबर को समीक्षा बैठक में भी ऐसा ही निर्देश जारी किया गया, लेकिन सरकारी महकमों की तरफ से जमीन नहीं दी जा सकी। इसमें नगर निगम भी शामिल है।

मंगलवार को प्रमुख सचिव नगर विकास ने संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें मेट्रो रेल परियोजना (ईस्ट-वेस्ट कारिडोर) को लेकर जमीन दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि जमीन देने में देरी न की जाए। इसमें नगर निगम की अमीनाबाद और चौक की जमीन का उपयोग मेट्रो स्टेशन पर जनसुविधाओं के लिए किया जाना है। तीन दिन पहले भी नगर आयुक्त गौरव कुमार ने नगर निगम के संबंधित अधिकारियों के साथ ही जलकल महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि मेट्रो रेल परियोजना को लेकर तैयार की गई संशोधित परियोजना को देख लें और मेट्रो अधिकारियों से समन्वय बनाकर जमीन देने की कार्यवाही करें। यह जमीन मुफ्त में दी जानी है। इससे पहले मेट्रो रेल कारपोरेशन ने अमीनाबाद के गंगा प्रसाद रोड, रकाबगंज, पांडेय गंज समेत अन्य सड़कों से जुड़ी जानकारियां मांगी थीं। मेट्रो रेल कारपोरेशन ने अमीनाबाद से पांडेयगंज के बीच मीना रोड और इजहार ट्रांसपोर्ट की जमीन चिह्नित की थी, जहां मेट्रो स्टेशन का प्रवेश व निकास द्वार बनाया जाना है। इसके लिए मीना रोड पर भूखंड संख्या 158/126 (क) और इजहार ट्रांसपोर्ट के भूखंड संख्या 158/ 79 को अधिग्रहण किया जाना है। मेट्रो रेल कारपोरेशन ने फरवरी में इन भूखंडों के स्वामित्व, भू उपयोग का सत्यापन कराने को लेकर नगर निगम को पत्र लिखा था।

'टीबी रोगियों की संख्या में आई बहुत कमी'

लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्युटिकल साइंसेज ने टीबी रोग की रोकथाम के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। मुख्य वक्ता सीएसआइआर-सीडीआरआइ के वरिष्ठ प्रधान विज्ञानी डा. विवेक भोसले ने बताया कि 2015 तक 230 लाख लोग प्रति वर्ष टीबी रोग से ग्रसित रहते थे। अब डब्ल्यूएसओ की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें बहुत कमी आई है। इसकी वजह यह है कि पहले जहां 15 प्रतिशत इलाज होता था, अब 92 प्रतिशत तक हो रहा है।

केजीएमयू के सामुदायिक चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग के डा. राजीव मिश्रा ने टीबी की रोकथाम के लिए 4ए कांसेप्ट अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, अफ्फोर्डेबिलिटी, एटिट्यूड से अवगत कराया। उन्होंने टीबी से बचाव के लिए ड्रग कंप्लायंस पर जोर दिया। सीएसआइआर-सीडीआरआइ के पूर्व प्रोफेसर डा. अमित मिश्रा ने भी अपने विचार रखे। वि.

65 ग्रामसभाएं टीबी मुक्त, प्रधानों का सम्मान

जासं ● लखनऊ : प्रदेश सरकार के नौ वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सात दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा स्वास्थ्य संगोष्ठी हुई और विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में 65 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के प्रधान को सम्मानित किया गया।

गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश टीबी मुक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहा है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार हुआ है। प्रदेश सरकार पिछले नौ वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों की सक्रियता के कारण ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो रही हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों से अपील की कि वे अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ स्वास्थ्य में भी सक्रिय भूमिका निभाएं और अपनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने में योगदान दें। जब सरकार के साथ समाज भी खड़ा होता है, तभी कोई अभियान जनआंदोलन का रूप लेता है। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रो. सीएम सिंह ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। सामुदायिक सहभागिता के बिना कोई भी जनस्वास्थ्य कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। लोगों में नियमित दवा सेवन के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है, क्योंकि दवा का नियमित सेवन न होने पर सामान्य टीबी एमडीआर-टीबी का रूप ले सकती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एनबी सिंह मौजूद रहे।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधान को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते एमएलसी मुकेश शर्मा, साथ में लोहिया संस्थान के निदेशक प्रो. सीएम सिंह, सीएमओ डा. एनबी सिंह ● जागरण

लोको पायलट पर ही कार्रवाई की तैयारी

- कपड़े उतारने का मामला, रेल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन का माना दोषी
- डीआरएम ने कमेटी की रिपोर्ट को दी संस्तुति, इंटरनेट पर प्रसारित हुआ था वीडियो

> लोको पायलट के अंत:वस्त्र उतारने के मामले में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ही लोको पायलट पर आगे की कार्रवाई जल्द सुनिश्चित की जाएगी।
> **-कुलदीप तिवारी**, सीनियर डीसीएम, लखनऊ

जासं ● लखनऊ : पाइल्स के आपरेशन के बाद जख्म न भरने के कारण अपने मेडिकल अवकाश को बढ़ाने को लेकर हुए विवाद के बीच लोको पायलट के अंत:वस्त्र उतारने की घटना की जांच पूरी हो गई है। घटना को जांच समिति ने रेल सेवा अचारण नियम 3.1 के सेक्शन 18 का उल्लंघन पाया है। रेलवे की छवि को धूमिल करने, सरकारी कार्यालय में बिना अनुमति वीडियो बनाने सहित कई आरोप तय करते हुए कमेटी ने लोको पायलट के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की है। इस रिपोर्ट को डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की लखनऊ लाबी में तैनात लोको पायलट राजेश मीणा लंबे समय से पाइल्स की बीमारी से परेशान थे। उनका उपचार मंडलीय अस्पताल में चल रहा था। आराम न मिलने पर 22 से 28 फरवरी से तक लोको पायलट ने सीक लीव (डाक्टर के परामर्श पर मिलने वाला मेडिकल अवकाश) ले लिया था। लोको पायलट ने 22 फरवरी को एक निजी चिकित्सक से पाइल्स का आपरेशन करवाया था। एक मार्च के विश्राम के बाद भी लोको पायलट राजेश मीणा के आपरेशन के जख्म नहीं भर सके। इस पर वह दो मार्च को मेडिकल लीव की अवधि को एक सप्ताह और बढ़ाने के लिए मुख्य क्रू कंट्रोलर रतन कुमार के पास पहुंचे थे। इस कार्यालय का एक वीडियो एक्स पर प्रसारित हुआ, जिसमें लोको पायलट अपने साथ लाए मरहम, पट्टी, दवा, उपचार के पर्चा के साथ मुख्य क्रू कंट्रोलर के सामने अंत:वस्त्र उतारकर अपने जख्म दिखाते दिख रहे हैं। इस मामले में चार सदस्यीय समिति ने दो बिंदुओं की जांच की। इसमें पहला लोको पायलट को मेडिकल लीव न दिए जाने और दूसरा अंत:वस्त्र उतारने की परिस्थितियों का आकलन करना था। कमेटी में शामिल डाक्टर ने मेडिकल लीव के पहलुओं की जांच की। जांच में पाया कि कर्मचारी रेलवे अस्पताल या बाहर कहीं भी मेडिकल लीव या अपने अवकाश पर उपचार करा सकता है। दूसरे पहलू की जांच में पाया गया कि लोको पायलट को 22 फरवरी को जो मेडिकल लीव दी गई थी, उसे विवाद होने से पहले बढ़ा दिया गया था। तीसरा यह कि मुख्य क्रू कंट्रोलर या कोई अन्य कर्मचारी लोको पायलट को कपड़े उतारने के निर्देश नहीं दे रहा है। लोको पायलट ने न केवल स्वतः अपने अंत:वस्त्र उतारे, बल्कि कुछ लोगों ने उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करके रेलवे की छवि भी धूमिल की है। यह आरोप लगाते हुए डीआरएम को भेजी गई रिपोर्ट में गलत आचरण पर लोको पायलट पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि, आल इंडिया रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की ओर से इस रिपोर्ट को एकपक्षीय बताया गया है। बताया कि पीड़ित लोको पायलट को कंट्रोल रूम से मैसेज देकर निलंबित किया गया था, जिसे बाद में बहाल किया गया। लोको पायलटों पर काम के बढ़ रहे दबाव के बीच उनके स्वास्थ्य में आ रही गिरावट के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया गया है।

अलग-अलग सड़क हादसों में दो की मौत

जागरण टीम ● लखनऊ : अलग-अलग इलाकों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं दो अन्य लोगों को चोटें आई हैं। दोनों घटनाएं पारा और ठाकुरगंज इलाके में हुईं।

बिहार के सहरसा स्थित सलखुआ निवासी 35 वर्षीय बबलू कुमार दिल्ली में मजदूरी करते थे। सोमवार को वह ट्रक से कबाड़ का सामान लेकर साथी भरत कुमार के साथ बिहार लौट रहे थे। आगरा एक्सप्रेसवे पर मौंदा मोड़ के पास उनकी ट्रक डिवाइडर से टकरा कर अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे में बबलू और भरत को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने घायलों को लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान बबलू कुमार की मौत हो गई। वहीं साथी की हालत नाजुक है। बबलू के परिवार ने सरकार से मुआवजे और कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद परिवारजन शव लेकर बिहार चले गए। उधर, आउटर रिंग रोड पर फरीदी नगर के पास सोमवार देर रात न्यू हैदरगंज निवासी 28 वर्षीय शनि को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस ने शनि को अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

प्रदेश सरकार के नौ वर्ष पूर्ण होने पर संबोधित करते वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, साथ में महापौर सुषमा खर्कवाल, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा ● जागरण

सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर प्रभारी मंत्री ने लाभार्थियों को किया सम्मानित

जासं ● लखनऊ : प्रदेश सरकार के नौ वर्ष पूरी होने पर लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा, सरकार हर मोर्चे पर सफल रही है, जिसके कारण आज पूरा देश उम्मीद से हमारी तरफ देख रहा है।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार ने जनता का परसेप्शन बदला है। 2017 में जहां विकास की गति आठ प्रतिशत थी वो आज बढ़कर 18 फीसदी हो गई है। 2017 में प्रदेश में कृषि कार्य के लिए उपलब्ध भूमि 76 प्रतिशत थी जो बढ़कर 86 प्रतिशत पहुंच गई। 86 लाख से अधिक लघु एवं सीमांत कृषकों का एक लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं फसल बीमा योजना से जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से चौमुखी विकास कर रही है। महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक ओपी श्रीवास्तव, एमएलसी मुकेश शर्मा और डीएम विशाख जी मौजूद थे।

भारत सरकार
(वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग)
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, लखनऊ

अफीम कृषको के लिये महत्वपूर्ण सूचना

समस्त अफीम कृषकों को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के वर्तमान फसल वर्ष 2025-26 में अफीम एवं सीपीएस के तौल को शीघ्र प्रारम्भ करने के उद्देश्य से फसल हंकवाने की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए CPS Harvesting में शेष रह गए समस्त कृषकों को सूचित किया जाता है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली निरीक्षण की प्रक्रिया का इंतजार नहीं करते हुए फसल के पकने पर कृषकगण स्वयं ही सीपीएस पद्धति के काश्त की प्रक्रिया के अनुसार डोडा मय डंठल के **(04 इंच से 06 इंच डंठल की लम्बाई)** को तोड़ कर उसका वजन निर्धारित प्रारूप में इन्द्राज कर उसकी रिपोर्ट अपने गाँव के मुखिया के माध्यम से अनिवार्य रूप से सम्बंधित जिला अफीम अधिकारी को प्रेषित करें।

आज्ञा से
नारकोटिक्स आयुक्त

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर/खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर

पत्रांक- 1437/352सी-ई-टेण्डर-सी0खी0/2025-26 दिनांक- 17.03.2026

ई- निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0 की ओर से उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग में मार्ग कार्य हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेण्डरिंग के माध्यम से नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वह न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में निविदादाता निर्देश पुस्तिका में वर्णित ठेका प्राप्त करने के नियमों से अवगत हो लें।

क्र0 सं0	जनपद/विधान सभा/खण्ड का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य समस्त कर सहित (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षा ऋतु सहित)	ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सीतापुर/महोली नि0खं0-4	नेरी सिधौली महमूदाबाद मार्ग (एस0एच0-139) में बी0सी0 के साथ नवीनीकरण का कार्य।	266.00	15.30	2715.00	05 माह	'ए'

बिड डाक्यूमेन्ट वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर दिनांक 27.03.2026 से 06.04.2026 तक उपलब्ध है जो कि दिनांक 06.04.2026 को समय अपरान्ह 12:00 बजे तक अपलोड किये जा सकते है। इसकी तकनीकी बिड दिनांक 06.04.2026 को अपरान्ह 12:30 बजे खोली जायेगी। निविदा से सम्बन्धित अधिक जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

(इं0 राघवेन्द्र सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-4, लो0नि0वि0, सीतापुर

(इं0 सतीश कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता
सीतापुर/खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर

UP-248873 दिनाँक 20.03.2026 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! **pnb punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

शाखा आफिस - एआरएमबी, लखनऊ
निकट कपूरथला चौराहा, अलीगंज, लखनऊ-226024
मो. नं. 7060027344 ईमेल: cs8272@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

ई-नीलामी प्रक्रिया से "वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत जो प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के साथ पठित है, अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, जमानतकर्ताओं, बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्ति(यों) जिन्हें बैंक के पक्ष में गिरवी/बंधक रखा गया था एवं जिनका रचनात्मक कब्जा (सांकेतिक/भौतिक) पंजाब नैशनल बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है की ई-नीलामी **"जहाँ है जैसा है", "जहां है जो है" और "जो भी हो"** के अनुसार निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ताओं से प्रतिभूत राशि की वसूली के लिए की जाएगी। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य, EMD राशि एवं अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (कोई अधिभार ज्ञात नही) निम्नानुसार है। ऋणियों/ जमानतकर्ताओं /बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बिक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

धरोहर धनराशि जमा करने हेतु खाते का विवरण : खाता नं. **827200317118A** आईएफएस कोड (**IFS code)-PUNB0827200**
नोडल अधिकारी - श्री ए. पी. मिश्रा, मुख्य प्रबन्धक, एआरएमबी, लखनऊ, मो. +91 7060027344

क्र सं	शाखा का नाम खाते का विवरण उधारकर्ता/जमानतकर्ता/ खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम (बंधक सम्पत्ति/यां) (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित)	अ)डिमांड नोटिस की तिथि 13(2)सरफेसी नियम 2002 ब)बकाया राशि स) कब्जा की तिथि, 13(4) सरफेसी नियम 2002 द)कब्जा का प्रकार-रचनात्मक/सांकेतिक/भौतिक कब्जा	अ)आरक्षित मूल्य ब)धरोहर धनराशि (ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि) स) वृद्धिशील बिड धनराशि	ई-नीलामी की तिथि व समय	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण
1	(अ) शाखा-एच एस मार्केट, बहराइच (ब)खाता का नाम- मैसर्स बृजेश इन्टरप्राइजेज स)उधारकर्ता- मैसर्स बृजेश इन्टरप्राइजेज, पता:(1) पीपल तिराहा, कचेहरी रोड, गुरुद्वारा के पास, बहराइच, उत्तर प्रदेश, पिन-271801 (2) गोंडा रोड, अग्रसेन चौक, बहराइच, उत्तर प्रदेश, पिन-271801, प्रोपराईटर-श्रीमती ममता गुप्ता पत्नी श्री बृजेश कुमार गुप्ता, बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता- श्री बृजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय दिनेश कुमार गुप्ता, दोनों का पता: (1) म. नं. 230/154, मोहल्ला काजीपुरा (दक्षिण), लोहिया चौराहा के पास, परगना तहसील और जिला बहराइच, उ.प्र. पिन- 271801 (2) मकान नंबर 176/122, मोहल्ला- बशीरगंज, परगना तहसील और जिला बहराइच, उ.प्र. पिन 271801 (3) एम.जी. रोड, 1, पीपल चौक, बहराइच, उ.प्र. पिन- 271801	:सभी भाग एवं हिस्सों सहित आवासीय संपत्ति मकान संख्या- 230/154 **क्षेत्र 185.87 वर्गमीटर (2000वर्गफुट)** स्थित मोहल्ला काजीपुरा (दक्षिण), परगना, तहसील एवं जिला -बहराइच जोकि श्रीमती गुलाब देवी पत्नी स्व0 नारायण प्रसाद वैध द्वारा निष्पादित अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 07.02.1985 के अनुसार श्री बृजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 दिनेश कुमार गुप्ता के पक्ष में जिला न्यायाधीश, बहराइच के न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25-02-2009 द्वारा आर.एम.सी संख्या - 216/2005 (बृजेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम अखिलेश कुमार गुप्ता और 3 अन्य) में परिवीक्षित किया। **चौहददी-डीड के अनुसार-** पूर्व: हरदेव प्रसाद का मकान, पश्चिमः नाला, उत्तर :हरदेव प्रसाद और हलधर प्रसाद का मकान, दक्षिण :- रास्ता एवं कुआं।	अ) 20.01.2023 ब)रू. 1,62,24,135.47 दि. 31-12-2022, तक +ब्याज एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तो दि. 01-01-2023 से प्रभावी, स) 01.05.2023 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 69,01,000/- ब)रू. 6,90,100/- 16.04.2026 स)रू. 10,000/-	17.04.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक	कोई अधिभार ज्ञात नही
2	(अ) शाखा-एच एस मार्केट, बहराइच (ब) 1) मेसर्स गुप्ता इन्टरप्राइजेज खाता नंबर 1857008700000741 एवं 007200आईबी00242143 और 2) श्री कमल शेखर गुप्ता का खाता संख्या- 007200NC00022008 और 0072009900000047 3) मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स खाता नं. (1857008700000857) 4) मैसर्स गुप्ता जनरल एजेसीजं खाता नं. (185700870000538) उधारकर्ता- 1) : मैसर्स गुप्ता इन्टरप्राइजेज (उधारकर्ता) पता: बिशात खाना लाइन, निकट चौक बाजार, बहराइच, उ. प्र-271801 (द्वारा प्रोप श्री कमल शेखर गुप्ता, पुत्र श्री शिव दुलारे गुप्ता) पता: 1. 582, गुदरी, राम सरन मंदिर के पास जिला- बहराइच, उ. प्र- 271801, 2. मकान नंबर-8एफ, मोहल्ला -बशीरगंज, रामलीला मैदान के पास, बहराइच, उ. प्र-,271801, श्री राम किशोर गुप्ता (जमानतकर्ता) पुत्र श्री शिव दुलारे गुप्ता, पता: 1. 582, गुदरी, राम सरन मंदिर के पास जिला- बहराइच, उ. प्र-271801., 2. केयर ऑफ गुप्ता ट्रेडर्स, 582, गुदरी, राम शरण मंदिर के पास जिला- बहराइच, उ. प्र-271801 . श्री शिव दुलारे गुप्ता (जमानतकर्ता एवं बंधककर्ता) पुत्र श्री बद्री नारायण गुप्ता, पता: 1. मकान नंबर-8एफ, मोहल्ला -बशीरगंज, रामलीला मैदान के पास, बहराइच, उ. प्र-271801., 2. केयर ऑफ गुप्ता जनरल एजेंसीज कसगर गली चौक, बहराइच,उ.प्र. -271801 उधारकर्ता -2): खाता श्री कमल शेखर गुप्ता (उधारकर्ता /बंधककर्ता) पुत्र श्री राम दुलारे गुप्ता एवं श्री शिव दुलारे गुप्ता (जमानतकर्ता) पुत्र श्री बद्री नारायण गुप्ता, पता: उपरोक्तानुसार उधारकर्ता -3. मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, पता: 582, राम सरन मंदिर के पास, गुदरी, बहराइच, उत्तर प्रदेश- पिन -271801 (प्रोप एवं उधारकर्ता) श्री राम किशोर गुप्ता, पुत्र श्री शिव दुलारे गुप्ता। श्री कमल शेखर गुप्ता (उधारकर्ता/जमानतकर्ता एवं बंधककर्ता) एवं (मैसर्स गुप्ता एंटरप्राइजेज के प्रोपराईटर) पुत्र श्री शिव दुलारे गुप्ता, दोनों का पता: (1) 582, राम शरण मंदिर के पास, गुदरी, बहराइच, उत्तर प्रदेश-पिन-271801 (2) मकान नंबर-8एफ, मोहल्ला-बशीरगंज, रामलीला मैदान के पास, बहराइच, यूपी, पिन- 271801, श्री शिव दुलारे गुप्ता (मैसर्स गुप्ता जनरल एजेसीज के प्रोपराईटर एवं उधारकर्ता) (जमानतकर्ता एवं बंधककर्ता) पुत्र श्री बद्री नारायण गुप्ता, पता: (1) 582, राम सरन मंदिर के पास, गुदरी, बहराइच, उत्तर प्रदेश- पिन-271801 (2) मकान नंबर-8एफ, मोहल्ला- बशीरगंज, रामलीला मैदान के पास, बहराइच, यूपी, पिन-271801.(3) पता:- कसगर गली चौक, बहराइच, उ.प्र.-271801 4)उधारकर्ता -4 : मैसर्स गुप्ता जनरल एजेसीज श्री शिव दुलारे गुप्ता (प्रोपराईटर एवं उधारकर्ता) (जमानतकर्ता एवं बंधककर्ता) पुत्र श्री बद्री नारायण गुप्ता, पता: उपरोक्तानुसार	सम्पत्ति-लॉट नंबर -1: वाणिज्यिक/आवासीय संपत्ति स्थित परिसर संख्या 8एफ (प्लॉट नंबर 213 का भाग) क्षे. **4050 वर्गफीट (376.39 वर्गमी..)** एवं उस पर निर्माण 217 मिन, मौजा बहराइच, मोहल्ला-बशीरगंज, (रामलीला मैदान के पास) बहराइच जोकि पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 1787 दिनांक. 13.09.1999 के अनुसार उप निबंधक कार्यालय बहराइच में **श्री कमल शेखर गुप्ता पुत्र श्री शिव दुलारे गुप्ता के** नाम पंजीकृत है। **चौहददी-** पूर्व-सड़क, पश्चिमः श्री अरुण श्रीवास्तव की संपत्ति, उत्तरः श्री प्रकाश गुप्ता की संपत्ति, दक्षिणः श्रीमती मीना श्रीवास्तव का प्लॉट। **नोट-उक्त सम्पत्ति एनपीए खाता-मेसर्स गुप्ता इन्टरप्राइजेज, श्री कमल शेखर गुप्ता एवं मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स में भी बंधक है** **लॉट नंबर -2:** व्यवसायिक भूमि एवं भवन **क्षे. 231.13 वर्गमीटर या 2487 वर्गफुट** स्थित दुकान संख्याः 285 (1-2), 286, 287, 288, 289, 290, 291 मोहल्ला- स्टीलगंज, बिशात खाना, कसगर गली जोकि वसीयतनामा संख्या 42 दिनांक 02.11.1972 को **श्री शिव दुलारे पुत्र स्वर्गीय बद्री नारायण गुप्ता** के नाम पंजीकृत है। **चौहददी-** पूर्व-श्री हुकुम चंद्र सिंह की दुकान, पश्चिमः सड़क, उत्तरः सड़क, दक्षिणःश्री शब्बीर अहमद की दुकान। **नोट-उक्त सम्पत्ति एएनपीए खाता-मेसर्स गुप्ता इन्टरप्राइजेज, मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स एवं मेसर्स गुप्ता जनरल एजेंसी में भी बंधक है**	**खाता मेसर्स गुप्ता इन्टरप्राइजेज एवं श्री कमल शेखर गुप्ता में** अ) 03-10-2022 ब)रू. 4,12,86,912.10 दिनांक 30.09.2022 तक +ब्याज एवं अन्य खर्चे घटाओं वसूली यदि कोई हो तो, दि. 01-10-2022 से प्रभावी स)15/12/2022 द)सांकेतिक कब्जा **खाता मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स में** अ) 09-02-2023 ब)रू. 77,61,808.31 दिनांक 31-01-2023 तक +ब्याज एवं अन्य खर्चे घटाओं वसूली यदि कोई हो तो, दि 01-02-2023 से प्रभावी स) 01.05.2023 द)सांकेतिक कब्जा **खाता मैसर्स गुप्ता जनरल एजेसीजं में** अ) 21.10.2023 ब)रू. 20,13,949.98/- दिनांक 30-09-2023 तक +ब्याज एवं अन्य खर्चे, घटाओं वसूली यदि कोई हो तो, दिनांक 01-10-2023 से प्रभावी स) 23.04.2024 द)सांकेतिक कब्जा	लॉट नंबर -1 हेतु अ)रू. 1,34,72,000/- ब)रू. 13,47,200/- 16.04.2026 स)रू. 10,000/- लॉट नंबर - 2 हेतु अ)रू. 1,18,83,000/- ब)रू. 11,88,300/- 16.04.2026 स)रू. 10,000/-	17.04.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक 17.04.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक	कोई अधिभार ज्ञात नही कोई अधिभार ज्ञात नही
3	(अ) शाखा :भिनगा, श्रावस्ती (ब) खाता - मोहम्मद शफी स) उधारकर्ता- मोहम्मद शफी पुत्र जलील खान निवासी ग्राम गदरा, पोस्ट-बंठिहवा, सिटकहवा, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश 271831 जमानतकर्ता एवं बंधककर्ता- श्री अजीजुर्रहमान पुत्र जलील निवासी ग्राम गदरा, पोस्ट-बंठिहवा, सिटकहवा, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश 271831	सभी भाग एवं हिस्सों अचल संपत्ति भूमि एवं भवन के रूप में स्थित गाटा संख्या 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3309, 3310 के भाग, **क्षेत्रफल 2300 वर्ग फुट** (213.75 वर्ग मीटर) स्थित ग्राम/मोहल्ला भिनगा देहात (मंगल भट्टा), परगना एवं भिनगा, जिला श्रावस्ती जोकि बिक्री विलेख संख्या 9326 दिनांक 08-08-2018 के अनुसार **श्री अजीजुर रहमान पुत्र जलील खान** के नाम उप निबन्धक कार्यालय सदर श्रावस्ती में पंजीकृत है। **चौहददी डीड के अनुसार** -पूर्व-सदरुद्दीन का प्लॉट एवं सड़क 20 फीट, पश्चिम- खैरुन्निशा का प्लॉट, उत्तर-निरुपमा सिंह का प्लॉट, दक्षिण-भिंगा लखमनपुर मुख्य सड़क।	अ) 21.11.2024 ब)रू. 39,91,471.44 (दिनांक 31.10.2024 को +ब्याज एवं अन्य खर्चे, घटाओं वसूली यदि कोई हो तो, दिनांक 01.11.2024 से प्रभावी डिमांड नोटिस के अनुसार स) 04.02.2025 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 34,33,000/- ब)रू 3,43,300/- 16.04.2026 स)रू. 10,000.00	17.04.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक	कोई अधिभार ज्ञात नही

नियम एवं शर्ते- बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम एवं शर्ते की पुष्टिकरण के अधीन होगी। 1. सम्पत्तियों की बिक्री "जहाँ है वैसा है", "जैसा है वैसा है" और "जो भी हो" के आधार पर की जायेगी। 2. बंधक सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्दिष्ट जानकारी बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंकित किये गये है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि गलत बयान या बिक्री सम्बन्धी घोषणा में हुई चूक हेतु जवाबदेही नही होगा। 3. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफार्म वेवसाइट **https://baanknet.com** पर की जायेगी। 4. विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** में दिए गए लिंक को देखें।

बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।

दिनांक : 25.03.2026, स्थान लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार